न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी जिला–जोधपुर

बइजलास–यशपाल आहूजा, (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 07/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. पप्पुराम पुत्र श्री गोपालराम जाति विश्नोई निवासी 15 अशोक विहार शिकारगढ जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान		1. सरपंच ग्राम पंचायत जागरिया तहसील फलौदी 2. सचिव ग्राम पंचायत जागरिया तहसील फलौदी जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. श्री गजेन्द्र दवे व सुरेन्द्र कुमार विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सिकन्दर घोषी व अशोक कुमार सुथार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक :– 02.12.2019

पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है की अपीलांट द्वारा म्यूटेशन संख्या 623 नांकित 08.06.2019 जो की रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत जागरिया द्वारा इस प्रकार से खारिज ा है ग्राम जागरिया की कृषि भूमि खसरा संख्या 10.,11, व 13 कुल रकबा 316 बीघा 17 वा पर अपीलांट अथवा अपीलांट के विक्रेता का आज दिन तक कभी कोई कब्जा नही रहा तथा उपरोक्त भूमि पर अन्य ग्रामवासियों का सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कब्जा । आ रहा है। उक्त भूमि पर काश्त करते किसी भी ग्राम वासी ने नही देखा और न ही । खातेदारी या उसके किसी भी वारिस को ग्राम जागरिया में देखा गया अर्थात उक्त भूमि वेक्रेंता संदिग्ध है जिसकी विस्तृत जांच ग्राम पंचायत एवं तहसील कार्यालय बाप द्वारा की इस प्रकार उपरोक्त नामा. संख्या 623 विवादित नामा. है जिसकी अपील की सुनवाई ीय न्यायालय द्वारा कानुनन नही की जा सकती है उक्त अपील बा बाई लॉ है। तथा भी विवादित म्यूटेशन की अपील संभागीय आयुक्त में की जा सकती है। इसलिये अपील नवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है ।

क्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पर सिधी बहस की अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में की अपीलांट द्वारा म्यूटेशन संख्या 623 दिनांकित 08.06.2019 जो की रेस्पोडेन्ट ग्राम त जागरिया द्वारा इस प्रकार से खारिज गया है ग्राम जागरिया की कृषि भूमि खसरा 10.,11, व 13 कुल रकबा 316 बीघा 17 बिस्वा पर अपीलांट अथवा अपीलांट के विक्रेता ज दिन तक कभी कोई कब्जा नही रहा है। तथा उपरोक्त भूमि पर अन्य ग्रामवासियों टलमेंट से लेकर आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर काश्त करते भी ग्राम वासी ने नही देखा और न ही उक्त खातेदारी या उसके किसी भी वारिस को गरिया में देखा गया अर्थात उक्त भूमि के विक्रेंता संदिग्ध है जिसकी विस्तृत जांच ायत एवं तहसील कार्यालय बाप द्वारा की गयी इस प्रकार उपरोक्त नामा. संख्या 623 नामा. है जिसकी अपील की सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा कानुनन नही की जा है उक्त अपील बा बाई लॉ है। तथा किसी भी विवादित म्यूटेशन की अपील संभागीय में की जा सकती है। इसलिये अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है ।

। अपीलांट ने अपनी बहस में बताया की रेस्पोडेन्ट वर्तमान अपील राजस्थान भू– की अपील है जिसमे सिविल प्रकिया संहिता के नियम लागू नही होते इस कारण प्रार्थी तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अपील को रने के लिए इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश किये है जिसका कानूनी कोई औचित्य तः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें

उपखण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया की रेस्पोडेन्ट वर्तमान अपील राजस्थान भू-राजस्व की अपील है जिसमे सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम लागू नही होते इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अपील को लंबित करने के लिए इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश किये है जिसका कानूनी कोई औचित्य नही है अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें
उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया वर्तमान अपील राजस्थान भू- राजस्व की अपील है जिसमे सिविल प्रकिया संहिता के नियम लागू नही होते है। अपीलांट ने राजस्व भू अधिनियम की अपील पेश की है। आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र राजस्व वाद में पोषणिय होता है न की राजस्व भू अधिनियम की अपील में इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(यशपाल आहूजा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

उपखण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yash...
Date: 2020.06.05 15:5...
Reason: SelfAttested
Location: